

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फ़ैक्स नं०:- 05963-220209

बागेश्वर

दिनांक : 20/8 /2019

पत्रांक
सेवा में,

546 / 12-1-2

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डोंगटी तक 6.00 कि०मी० मोटर मार्ग का 4.860 है० वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 1051/X-4-16/1(340)/2016 दिनांक 24.10.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो दो प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।
संलग्न- आख्या 2 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

दिनांकित।

पत्रांक

प्रतिलिपि-

अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को उनके पत्रांक 1253/2ई०व०भू० दि० 24.07.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1253 / 2ई०वन०भूमि -

दिनांक 24/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉंगटी तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का 4.860 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 1051/X-4-16/1 (340)/2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 1051/X-4-16/1 (340)/2016 दिनांक 24.10.2016 द्वारा अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु सं०-1 शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त, स्थानों पर पथ वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि क्रमशः रु० 2462387.00 एवं रु० 2279058.00 दिनांक 04.08.2018 को चालान सं० SBINR 52018080400048888 द्वारा जमा करा दी गयी हैं। **संलग्न है।**

बिन्दु सं०-2 शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन०पी०वी० की धनराशि रु० 3193020.00 मात्र दिनांक 04.08.2018 को चालान सं० SBINR 52018080400048888 द्वारा जमा करा दी गयी है। **संलग्न है।**

बिन्दु सं०-3 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानुसार एन०पी०वी० आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई-चालान जनरेट कर कुल धनराशि रु० 7934465.00 का भुगतान चालान सं० SBINR 52018080400048888 Dated 04-08-2018 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु सं०-4 शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बढ़ता कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

(2)

बिन्दु सं0-5 शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त देय धनराशि रु0 7934465.00 का भुगतान ऑन लाइन ई-चालान जनरेट कर दिनांक 04.08.2018 को किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैंक से प्राप्त SBINR 52018080400048888 Dated 04-08-2018 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0-6 शर्त संख्या 6 के अनुपालन में सूचित करना है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0-7 शर्त संख्या 7 मान्य है।

बिन्दु सं0-8 शर्त संख्या 8 के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख यथा-प्रपत्र 30 से 30-3, तक जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्ति, जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा फार्म-1 (कुल 7 नं0) पहले ही प्रस्ताव में 1-6 पर संलग्न किये गये हैं जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0-9 मान्य है।

बिन्दु सं0-10 मार्ग निर्माण उपरान्त उत्पादित होने वाले अवशेष मलवे का निस्तारण मोटर मार्ग के किनारे खड़ड साईड में प्रस्तावित 7मी0 चौड़ाई के अन्दर ही प्रस्तावित किया गया है जिस पर मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले पथ वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में भुगतान की गयी धनराशि से पौधारोपण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या 3 प्रति में नोडल अधिकारी देहरादून को संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति एवं भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न-2 प्रमाण पत्र, नामान्तरण की खतौनी एवं एक ई चालान की प्रति।

भवदीय

(संजय कुमार पाण्डेय)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,

कपकोट

पत्रांक / 2ई0वन0भूमि दिनांक / / 2019

प्रतिलिपि सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कालोनी, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

(संजय कुमार पाण्डेय)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,

कपकोट

आदेश

259
04.02.17

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 16 उजनवरी, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए जंगली तक 6.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है० की दुगनी अवनत भूमि 9.720 है० जो ग्राम बढियाकोट पटवारी क्षेत्र बढियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 है० मध्ये रकवा 9.720 है० जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1051/X-4-16/1(340) 2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 9.720 है० भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण / नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - III / छब्बीस वन / 2016-17 दिनांक 23/01 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

RNo-259/25/2016-04.2.17

प्रमाणित की राहुल झा, सहायक अभियन्ता को
स्व-चानाई एवं सागुण्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्रांति प्रति स्थापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोक निर्माण वि०
कपकोट

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या- JCH/र०का०/व०भू०ह०/2016-17/दिनांक 31 जनवरी, 2017

250
252
01.2.17

मैं,

प्रभागीय वनाधिकारी,

बागेश्वर।

विषय :-

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डोंगटी तक 6.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है० की दुगुनी अवनत भूमि 9.720 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

होदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या- 11/छब्बीस वन/ 2016-17, दिनांक 23/01/2017 के अनुपालन में ग्राम बढियाकोट पटवारी क्षेत्र [दियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के [माईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 हैक्टेयर, मध्ये 9.720 हैक्टेयर, श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में र्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

R.No-252/250 दि०-1.2.17

प्रमाणित की राहुल उमर, स० ज० व० के
सिचनाय स० ज० व० कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कौशे प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण ३० दि० वि०
कपकोट

उत्तराखण्ड
1/2/17

तहसीलदार
कपकोट।

$$\frac{100}{100} - \frac{99}{100}$$

पुनः १५ १२/५०

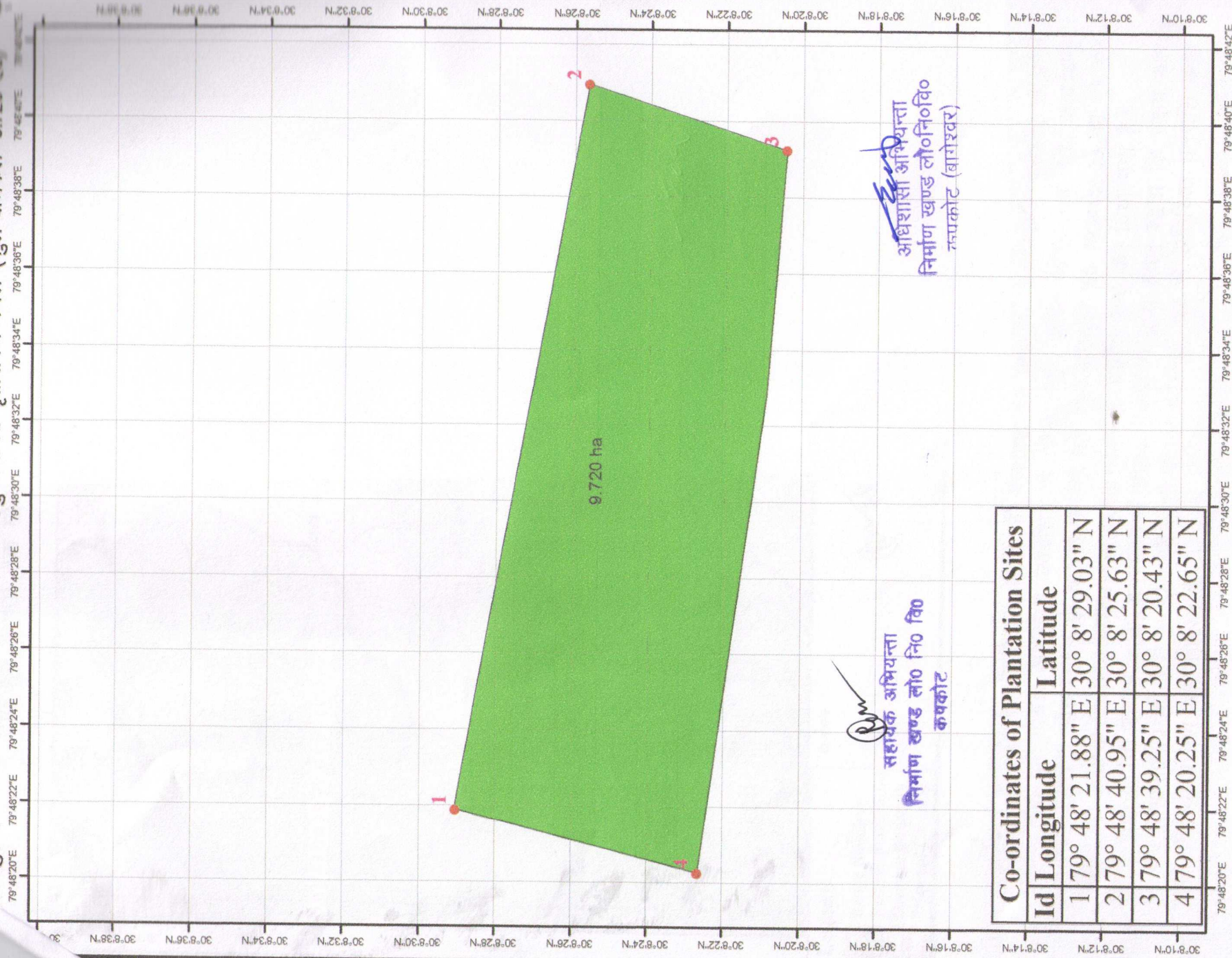
सहायक अभियन्ता
निर्माण खा. मा० वि०
कपकाट

३१.५.२०१४, १०/८/२०१४, १६/७/२०१४

प्रियादास

1200
1200
3.1.17

रफ़रेन्स मैप:-मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अंतर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से इन्टरनेट
गते हुए डागती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-9.720 है।)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

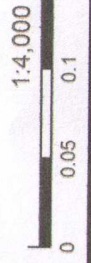
अधशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Co-ordinates of Plantation Sites	
Id	Longitude Latitude
1	79° 48' 21.88" E 30° 8' 29.03" N
2	79° 48' 40.95" E 30° 8' 25.63" N
3	79° 48' 39.25" E 30° 8' 20.43" N
4	79° 48' 20.25" E 30° 8' 22.65" N

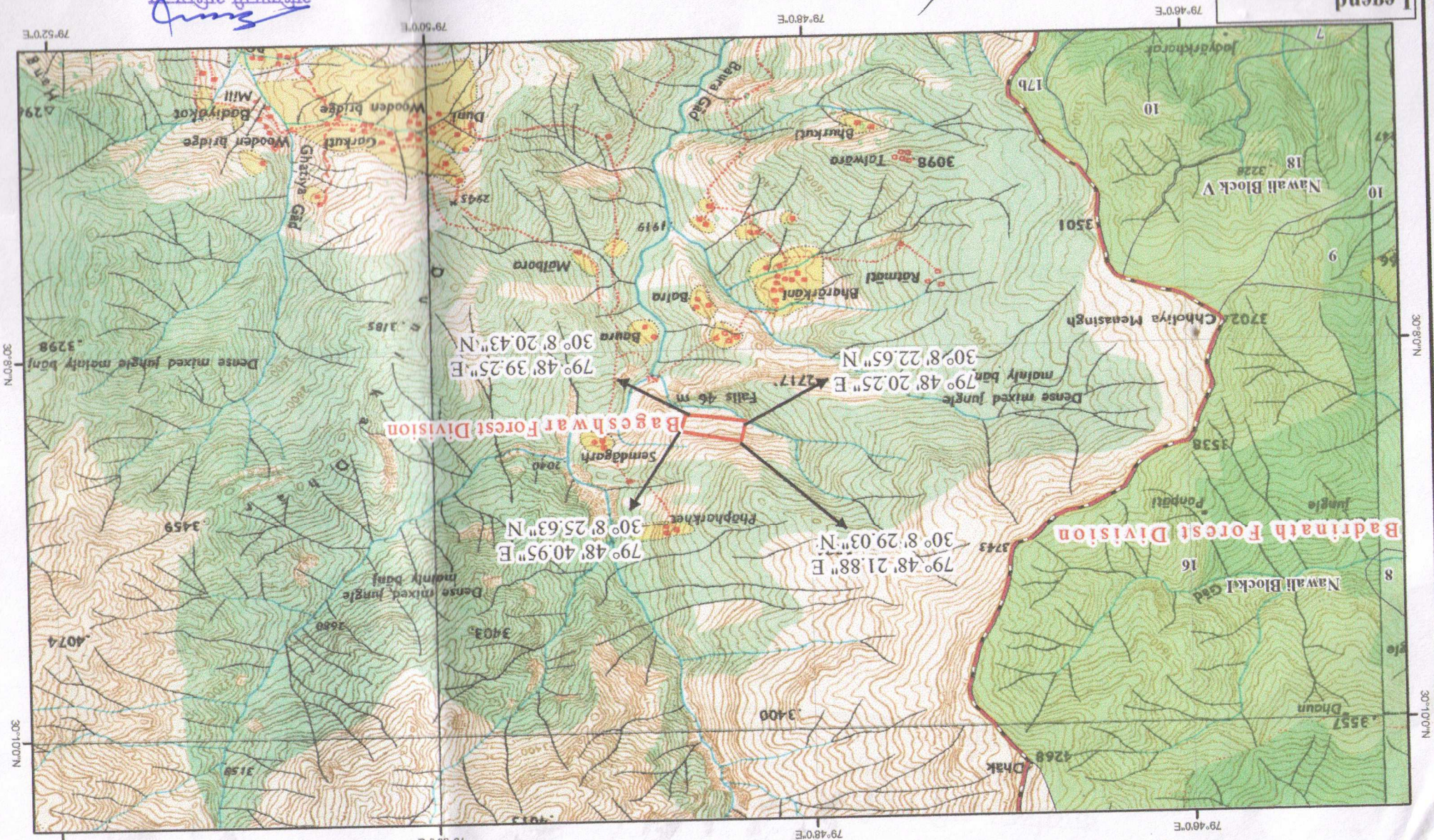
Legend

● GPS Location

■ CA Land



डिजिटल मैप-माओ मुख्य मंत्री की घोषणा के अंतर्गत ग्रामा से रसाही तैजम मोटर मार्ग से जानपुरा होते हुए खगती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु यथानित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-9.720 है०)



- Legend**
- Range Boundary
 - Reserve Forest Area
 - Division Boundary
 - Proposed CA Land

1:50,000
0 0.5 1 2
km

आदेशाधी आभयनी
निर्माण खण्ड निर्माण
कम्पार्ट (अभियन्ता)
Prepared by: ITGC, PCF Office, Dehradun